

768

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 4(1) परावि/पीसी/निरायो/2012-13/५६

जयपुर, दिनांक: 16/1/2013

मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त।

विषय :- प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 के आयोजन पर ग्राम पंचायत
केम्पों में होने वाले व्यय की स्वीकृती।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जनता की समस्याओं का ग्राम पंचायत स्तर पर ही समाधान कराने की दृष्टि से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में आयोजित होने वाले केम्पों की व्यवस्था पर अधिकतम 20,000 रुपये प्रति केम्प प्रति ग्राम पंचायत व्यय पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष योजना के तहत ग्राम पंचायतों को प्रदत्त अनुदान राशि से वहन करने की स्वीकृती प्रदान की जाती हैं।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 101300113 दिनांक 11.01.2013 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. जिला प्रमुख, जिला परिषद, समस्त।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव(मु.मं.), मुख्य मंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग।
11. संयुक्त शासन सचिव वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
12. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
13. लेखाधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
14. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
15. सांख्यिकी शाखा।
16. प्रोग्रामर, पंचायती राज मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अधिशायी अभियन्ता (टी.सी.)
16/1/13